राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 290/2025

रामावतार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर, राजस्थान।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर, राजस्थान।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर जिला धौलपुर, राजस्थान।
6. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सी.एच.सी. मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री बिंजाराम जाजडा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नलक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनिया, धोलपुर से उपजिला चिकित्सालय राजाखेडा धोलपुर में किया गया है।

3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

5. हमने अपीलार्थी के द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। हम पाते है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में बिन्दू संख्या 10 निम्न प्रकार से अंकित है :–

> *''मत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(1एमएम)/2018 जयपुर, दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकि0 एवं स्वा0 विभाग का स्वतंत्र प्रभार आंवटित है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।''*

6. हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते है। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)	**(अनन्त भण्डारी)**
सदस्य	**सदस्य (न्यायिक)**